न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व वाद. सं.– 424/2002
दायर तिथि– 04.07.2002
तारीख निर्णय – 07.10.2019

वादीगण :–

1. श्री सादुलसिंह पुत्र स्व. पोमसिंह
2. श्री मान सिंह पुत्र स्व. पोमसिंह
3. श्री रूपसिंह पुत्र स्व. पोमसिंह
4. श्री शैतानसिंह पुत्र स्व. पोमसिंह
5. मु. छगनकंवर बेवा पोमसिंह
   तमाम जातिगण – राजपूत, निवासीगण – खिवान्दी
   तहसील–सुमेरपुर, जिला – पाली (राज.)

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. श्री मंगलसिंह पुत्र जवानसिंह
2. जालमसिंह पुत्र मंगलसिंह
   तमाम जातिगण – राजपूत, निवासीगण – खिवान्दी
   तहसील–सुमेरपुर, जिला – पाली (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)।

उपस्थिति :–

1. श्री रतनलाल गेहलोत, अभिभाषक वादीगण
2. श्री कान्तिलाल सोनी, अभिभाषक प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणात्मक, स्थायी निषेधाज्ञा एवं राजस्व रेकर्ड दुरस्ती बाबत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– **दिनांक : 07.10.2019**

वाद में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

वादीगण सरहद मौजा खिवान्दी पटवार हल्का खिवान्दी में वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी भूमि आयी हुई है, जो पुराने खसरा नं. 138/1 रकबा $5\frac{1}{4}$ बीघा एवं खसरा नं. 138/2 रकबा 22 बीघा कुल रकबा $27\frac{1}{4}$ बीघा नये खसरा नं. 261 रकबा 3.66 हैक्टर अर्थात 22.875 बीघा भूमि वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। वक्त सैटलमेन्ट सैटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि जो कुल रकबा $27\frac{1}{4}$ बीघा था, तथा उस पर कब्जा व काश्त वादीगण का चला आ रहा है। नये राजस्व रेकर्ड में वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 261 रकबा 3.66 हैक्टर अर्थात 22.875 बीघा दर्ज किया गया, जो मात्र लगभग 23 बीघा होती है। इस प्रकार वादीगण के राजस्व रेकर्ड में 4.375 बीघा लगभग 4.50 बीघा की कम भूमि दर्ज हुई है। वादीगण के पडौसी खातेदार प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम से निम्न वर्णित भूमि पुराने खसरा नं. 131/1 रकबा $1\frac{1}{2}/4$ बीघा व पुराने खसरा नं. 131/2 रकबा $37\frac{1}{4}/4$ बीघा कुल रकबा $38\frac{3}{4}$ बीघा नये खसरा नं. 249 रकबा 0.83 हैक्टर व 248 रकबा 6.10 हैक्टर कुल रकबा 6.93 हैक्टर अर्थात 43/3125 बीघा भूमि सरहद मौजा खिवान्दी में आयी हुई स्थित है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा वक्त सैटलमेन्ट वादीगण की लगभग 4.50 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के खाते जोड दी, जो राजस्व रेकर्ड व नक्शे से स्पष्ट है। मौके पर वादीगण का कब्जा व काश्त पुराने रेकर्ड व नक्शे के अनुसार बदस्तुर है, जिससे यह वाद बाबत् घोषणात्मक इस अमर का पेश है कि वादीगण को कुल $27\frac{1}{4}$ बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जावें तथा राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती की जावें। वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि के मध्य रास्ता है, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उस रास्ते को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे है, तथा रेकर्ड में सेटलमेन्ट में रास्ता भी वादीगण की भूमि में दर्शाया हुआ है, जबकि पूर्व में रास्ता प्रतिवादीगण की तरफ था।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

.....लगातार पेज 2

Scanned by CamScanner

कथित वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी से जवाब तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने जबाव में बताया कि खातेदारी भूमि कुल रकबा 43 बीघा 3/25 बिस्वा पर कब्जा व काश्त पुश्तैनी जोधपुर रियासत के समय से चला आ रहा है। उस वक्त जागीर माफी भोम से अंकित था। जागीर रीज्युम के बाद से खातेदारी पर दर्ज है। इस ग्राम में सरकार द्वारा संवत 2018 में भूमि एकीकरण विभाग से पाबन्दी कराई है। जिसमें पूर्व की सभी माठें निरस्त कर नये सिरे से खेतों की माठें व रास्ते कायम किये है, उस अनुसार मौके पर धोरा पाली व माठ हमारे खेत के चारों तरफ लगे हुए है। जिसे आज 40 साल हो चुके है। व उसके आस–पास बढ़ने हेतु कोई जगह नहीं है, पडौस में चारों तरफ माफीदारों के खेत आये हुए है। प्रथम सेटलमेन्ट इस ग्राम का संवत 1980 में रियासत के समय हुआ, उसमें मौके पर की सर्वे करने में गलती रही। जिससे नक्शे में प्लोटिंग गलत होने से रकबा कम दर्ज हुआ था, दूसरी सेटलमेन्ट सन् 1974 में हुआ जिसमें इस गलती की दुरस्ती हुई, जिसे अब सही रकबा 6.93 हैक्टर हुआ जो सही दर्ज किया गया है। हमारे पुराने नक्शे व सन् 1974 के सेटलमेन्ट के नक्शों की तुलनात्मक जांच की तो जो पूर्व की गलती थी वह अब प्रत्यक्ष मालुम हों रही है, सरकार द्वारा पुराने सर्वे के नक्शों व रेकर्ड को निरस्त कर नई सर्वे सन् 1974 में करवायी, जिससे काफी खेतों में रकबा घटत बढ़त हुआ है। इस गलती को यह भी बल मिलता है कि ग्राम खिवान्दी का पूर्व में कुल रकबा 17221 बीघा 15 बिस्वा था। जो सन् 1974 के सेटलमेन्ट में कुल ग्राम का रकबा 2717.75 हैक्टर हुआ, जिसको बीघों में बदलने पर 17423 बीघा पांच बिस्वा बनता है। जो पूर्व के मुकाबले 201 बीघा 11 बिस्वा की बढोतरी हुयी है। जिससे स्पष्ट है कि प्रथम सेटलमेन्ट काफी गलत था। जिसमें मौके पर ज्यादा जमीन होने के बावजूद भी रकबा कम दर्ज कर दिया था तथा सेटलमेन्ट में इस गलती का सुधार होकर रकबा दर्ज किया जो सही है। चूंकि प्रतिवादीगण की कब्जे की भूमि पर प्रतिवादीगणों का कब्जा प्रथम सेटलमेन्ट संवत 2012 के पूर्व से एवं वक्त लागु होने काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 के दिन से ही इसी भूमि पर कब्जा व काश्त होने से प्रतिवादीगण अपने कब्जे की भूमि के खातेदारी हक कायम होने के कारण व पूर्व के प्रथम सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती होने के कारण सन् 1974 के सेटलमेन्ट द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का जो भी इन्द्राज किया वह सही है। हम प्रतिवादीगण सेटलमेन्ट कार्य के जानकार होने से वादीगणों के खेत खसरा नं. 261 को मौके पर नाप कर जांच की तो वादीगणों की कोई भूमि सन् 1974 सेटलमेन्ट के द्वारा हमारे खेत के शामिल नहीं जोडी है। हमारे व वादीगण के बीच में सरकारी विलानाम रास्ता है। व वादीगण की भूमि पुराने चकबन्दी नक्शें व सन् 1974 के सेटलमेन्ट के नक्शे अनुसार मौके पर रास्ता को छोडकर हमारे खेत के बराबरी तक सही है। मौके पर जरीब से नपाई हमारे रूबरू कराकर इस सन्देह को किया जा सकता है। वादीगण ने नपाई न कर वैसे ही नक्शा देखकर लिखा है कि देखने से स्पष्ट है और इन्होनें न पैमाने से पुराने चकबन्दी नक्शा व सन् 1974 के नक्शे को कम्पेयर किया है। उनका कथन असत्य है। संवत 1980 के सेटलमेन्ट में सर्वे की गलती जहां हुई है, उसका विवरण यह है कि प्रतिवादीगण के खेत के उत्तर में एक खेत छोडकर ग्राम की सीमा आयी हुई स्थित है, सीमा पश्चिम में कोने पर नेकम खड़ा है, जहां से उत्तर में सरहद मुडकर जा रही है, व इस नेकम के पूर्व में एक नेकम खड़ा है, इन दोनों के बीच का फासला 140 गटा ही है। सन् 1974 के सेटलमेन्ट में नई सर्वे हुई, उसमें इसका फासला 158 गटा है। 18 गटा यानि 120 फीट पुराने में कम दर्ज था। जिससे हमारे खेत में गलती रही थी। इसकी दुरस्ती नये नक्शों में होने से रकबा भीबडा व पुराने में खेतों का प्लोटिंग गलत था जो नयों में सुधार होने से पुराने नक्शें व नये नक्शें में प्लोटिंग में भिन्नता दिखती है। वादी का खेत भी पूर्व के नेकम के साथ साथ तक प्लोटिंग हुआ जिससे उसके खेत का फासला हमारे खेत के कोने से रास्ता को छोडकर पूर्व की वादी के खेत की माठ तक चकबन्दी के नक्शे के बराबर सही है। चकबन्दी ने मौके पर जो भी प्लोट दिया है उसके नाप से नये नक्शें को कम्पेयर किया जा सकता है। इसके अलावा वादीगण के खेत का चकबन्दी रेकर्ड देखा गया व पाया कि रेकर्ड दो भागों में बनाया गया है, एक भाग तो खसरा व खतौनी का बनाया है, इसका कारण यह है कि चकबन्दी कार्य पुराने रेकर्ड गत बन्दोबस्त के आधार पर किया गया है, जिससे रकबा मिलान किया जा सके। व लगान पूर्व अनुसार वसूल हो सके। इसमें वादीगण के खसरा नं. 138/1 व 138/2 कायम किये गये। जिसमें वादीगण का रकवा 27 बीघा दर्ज है। नये 1974 के सेटलमेन्ट में रकबा 3.66 हैक्टर होने से 4 बीघा 8 बिस्वा की कमी बताकर यह वाद प्रस्तुत किया है, चकबन्दी स्टाफ को रकबा व लगान बदलने का कोई अधिकार न होने से यह रेकर्ड बनाया है। दूसरा भाग अलग से चकबन्दी कार्य करने का बनाया है, जिसमें चकबन्दी द्वारा खेतों के प्लोट बनाया जाकर अलग से नंबर अंकित किये है, चकबन्दी कार्य करते वक्त पहले समस्त पुराने नक्शे की माठें निरस्त कर दी गयी, व मौके की समस्त भूमि का आना वेल्युशन कर नक्शा बनाकर भूमि वर्गीकरण के चक

.....लगातार पेज 3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

बनाये गये, व बाद में खातेदार का जहां बडा खेत है, वहां छोटे खेत को सेट किया गया, बाद में खातेदार का जहां बडा खेत है, वहां छोटे खेत को शामिल कर एक ही चक बनाकर एक नंबर डाला गया इस तरह वादी के खेत का चक गत नंबर 193 बनाया गया। यह नंबर नहरी क्षेत्र का है। व भूमि वर्गीकरण करने पर इसे उचें दर्जे पर माना गया है। नक्शे में वादीगण का प्लोट जो बनाया गया है, उसका नंबर 138 कायम कर उसमें भूमि वर्गीकरण उंचे दर्जे का होने से अलग से रंग भरकर दर्शाया गया है। वादीगण को भूमि वर्गीकरण के आधार पर इन्हें 22 बीघा भूमि सेट कर नक्शे में प्लोट बनाया गया है, इस दूसरे भाग में चकबन्दी करने का रेकर्ड नक्शा, भूमि एकीकरण विभाग फहरिस्त नम्बरान खसरा जिसमें गत नंबर 193 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा था। इसे वर्गीकरण के आधार पर शरह किमत (आना वेल्युशन) से 12 बीघा 15 बिस्वा किया है व क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र फर्द मिलान रकबा में 22 बीघा भूमि दी गई है। जो अंकित है, इस अनुसार मौके पर प्लोट 22 बीघे का बनाया गया है। चकबन्दी ने वादीगण की रकबा कमी भूमि वर्गीकरण के आधार पर की है जो रेकर्ड में अंकित है। नई सर्वे का सेटलमेन्ट 1974 में मौके के कब्जे अनुसार हुआ है, जिसमें इनका खसरा नंबर 261 होकर रकबा 3.66 हैक्टर बना, जो 22 बीघा 17 बिस्वा होता है। 17 बिस्वा रकबा देशी होने के कारण यह है कि इनके खेत की उत्तरी माठ पर चकबन्दी ने रास्ता कायम किया था, इन्होनें इस रास्ते पर कब्जा करके खेत में मिला दिया, जब सेटलमेन्ट हुआ तब रास्ता मौके पर न होने से उनके खेत के शामिल कर दिया, जिससे 17 बिस्वा रकबा बढ़ा है यह रास्ता सरकारी विलानाम था। तहसील ने इसको वापिस कायम करने की कार्यवाही नहीं की। पूर्व में यहां कोई रास्ता मौके पर व सरकारी रेकर्ड में नहीं था। सरकारी भूमि के एकीकरण विभाग द्वारा रास्ता कायम किया है, जिसको 40 वर्ष हो चुके है, पुराने चकबन्दी व सन् 1974 के सेटलमेन्ट के नक्शे के अनुसार ही मौके पर रास्ता सही जगह पर है। अब रास्ता पर वादीगण द्वारा दुबारा मौके पर अतिक्रमण किया जा रहा है, इस अतिक्रमण को बदस्तुर रखने के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है तथा इस वाद की ओट में रास्ते को मौके पर नाबूद कर रहे है। सेटलमेन्ट 1974 में हुआ जिसे 28 वर्ष हो चुके है, और अब इस तरह का वाद पेश किया है जो विचारणीय है। जबकि सेटलमेन्ट विभाग में ही उजरदारी हो सकती थी। सेटलमेन्ट का समय 1974 से 1985 तक रहा है, जो काफी लम्बे समय तक रहा है, इसके अलावा सन् 1999 में भी वादीगण ने रास्ते पर अतिक्रमण किया, जिसे तहसील ने बेदखल कर कब्जा हटवाया, जिसके फैसले की फोटो प्रति संलग्न है। उस वक्त उजरदारी नहीं की गयी, और उसके तीन साल बाद यह वाद पेश किया, जो म्याद बाहर है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड की वस्तुस्थिति माफिक तनकियात बिन्दु सं. 01 लगाय 12 कायम कर पक्षकारान् की शहादात रेकर्ड पर ली गयी, तदुपरान्त उभयपक्षीय बहस प्रस्तुत की गयी, जिसे सुना गया।

हमने उभयपक्षीय द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर विधि संगत मनन किया, साथ ही मूल प्रत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड, वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सं. 01 लगाय 08 व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सं. A1 लगाय A20 तक दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली की विषयवस्तु के परिपेक्ष्य में तनकियात बिन्दुवार विश्लेषण, विवेचना एवं परीक्षण निम्न रूपेण है –

तनकी सं. 1

आया राजस्व रेकर्ड अनुसार वादीगण की वाद पत्र के पद संख्या एक में वर्णितानुसार खसरा नं. पुराने 138/1, 138/2 रकबा 27 बीघा अर्थात जिसके नये खसरा नं. 261 रकबा 3.66 हैक्टेयर अर्थात 22.875 बीघा अर्थात लगभग 23 बीघा भूमि दर्ज है। सेटलमेन्ट विभाग ने वादीगण की खातेदारी भूमि में 4.375 बीघा अर्थात लगभग 4.50 बीघा कम दर्ज किया है?

.....वादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत 2031–34 प्रदर्श–2, जमाबन्दी संवत 2052–55 प्रदर्श–3, नक्शा ट्रेस पुराना प्रदर्श–4, नक्शा ट्रेस सेटलमेन्ट के बाद का प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी प्रतिवादीगण प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी पुरानी प्रतिवादीगण प्रदर्श–7, पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट प्रदर्श–8 का सावधानी पूर्वक अवलोकन एव परीक्षण किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नक्शा चकबन्दी संवत 2018 जिस पर भूमि वर्गीकरण के चक बनाये व खातेदारों के प्लॉट बनाये गये प्रदर्श–A1, चकबन्दी रेकर्ड का फेहरिस्त नम्बरान खसरा भूमि एकीकरण प्रदर्श–A2, क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र (फर्द मिलान रकबा) प्रदर्श–A3, सन् 1974 के नये सर्वे का नक्शा –A4, वादीगणों द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण किया व तहसील द्वारा बेदखल कर जुर्माना किया उसके फैसले की फोटोप्रति दिनांक 12.04.1999

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

.....लगातार पेज 4

Scanned by CamScanner

प्रदर्श–A5, रास्ता खसरा नम्बर 253 सरकारी विलानाम के खाते की नकल प्रदर्श–A6, प्रविादीगणों द्वारा जिला कार्यालय से प्राप्त अन्य दस्तावेजों की नकलें पत्रावली पर उपलब्ध करवाई गयी व आंशिक जवाब दावा प्रस्तुत किया गया प्रदर्श–A7, प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत वादीगण के गत बन्दोवस्त की खाता नकल प्रदर्श–A8, फेहरिस्त नम्बरान गत खसरा नं. 245 प्रदर्श–A9, नक्शा की फोटोप्रति पुर्नविभाजन पश्चात् भूमि एकीकरण की जिससे 138/1 व 138/2 न होकर सिर्फ एक ही नम्बर 138 है प्रदर्श–A10 आदि दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन एव परीक्षण किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, उभयपक्षीय प्रस्तुत शहादत व जिरह तथा उभयपक्षीय अभिभाषकगण की बहस उपरान्त इस तनकी पर हमारी विवेचना व परीक्षण इस प्रकार है कि वक्त भूमि वर्गीकरण (चकबन्दी) 1958 में गांव खिवान्दी की सम्पूर्ण भूमि की पुरानी माठें निरस्त की जाकर नये सिरे से खेतों की माठें व रास्ते कायम किये गये। उक्त कार्यवाही भूमि की किस्म, लगान वसूली की दर व अवस्थिति के आधार पर शरह कीमत (आना वेल्युएशन) तय की गयी, व नक्शा बनाकर भूमि के नये सिरे से चक बनाये गये थे। उक्त निर्धारित शरह कीमत के आधार पर खातेदारों को स्टेण्डर्ड क्षेत्रफल व सादा क्षेत्रफल के आधार पर रकबा आवंटन हुआ। चकबन्दी से पूर्व बन्दोबस्त में वादीगण के पिता श्री पोमसिंह के नाम दो खसरे थे। खसरा नं. 193 के रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नं. 245 के रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा कुल भूमि 31 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज थी। चकबन्दी के दौरान खसरा सं. 193 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा की किस्म को 12 आनी व खसरा सं. 245 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा की किस्म को 10 आनी माना गया। शरह कीमत (आना वेल्युएशन) के आधार पर श्री पोमसिंह को भूमि एकीकरण फेहरिस्त नम्बरान में खसरा सं. 193 के रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा जिसकी वेल्युएशन 12 आनी तय थी, को 14 आनी वेल्युएशन की जमीन के साथ मिलाया गया, वहां वादीगण को 12 बीघा 15 बिस्वा जमीन दी गयी। तथा खसरा नं. 245 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा जिसकी वेल्युएशन 10 आनी तय थी, को 12 आनी वेल्युएशन की जमीन के साथ मिलाया गया। अतः उक्त जमीन के बदले 9 बीघा 5 बिस्वा जमीन दी गयी। वादीगण के पिता को शरह कीमत के आधार पर कुल 22 बीघा जमीन दी जानी थी उसमें से भूमि एकीकरण विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए 8 बिस्वा रास्ते हेतु व 1 बिस्वा भूमि अन्य प्रयोजनार्थ कम की जिसका स्पष्ट वर्णन अंकित नहीं है। इस प्रकार कुल 9 बिस्वा भूमि कम करते हुए वादीगण के पिता श्री पोमसिंह के हिस्से में भूमि एकीकरण के तहत कुल 21 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज की गयी। यह रकबा ही वादीगण के काबिल तकसीम (वितरण योग्य स्टेण्डर्ड क्षेत्रफल) है। जो हकदारवार रजिस्टर में दर्ज है। चकबन्दी के समय वादीगण की उत्तरी माठ पर जो रास्ता था, उक्त रास्ते को सेटलमेन्ट सर्वे के दौरान वादीगण की जमीन के साथ मिला लिया गया। उक्त रास्ते का रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा था। वादीगण की मूल भूमि 21 बीघा 11 बिस्वा में मिलाने से वादीगण के खाते में वर्तमान में खसरा सं. 361 रकबा 3.66 हैक्टर अर्थात 22 बीघा 17 बिस्वा भूमि दर्ज है। प्रथम सेटलमेन्ट (1974) के दौरान वादीगण के पिता श्री पोमसिंह को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्थान भू राजस्व नियम 21 के तहत एक नोटिस सहित पर्चा प्रमाणांकन हेतु दिया गया था, जिसमें यह वर्णित था कि भूमि वर्गीकरण (चकबन्दी) के वक्त आपके खाते में दर्ज किये गये रकबे के संबंध में कोई उजर–एतराज हो तो दिनांक 20.08.1975 को सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त नोटिस सहित पर्चा प्राप्त कर वादीगण के पिता श्री पोमसिंह ने सेटलमेन्ट अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर उस नोटिस व पर्चा का जबाव दिया जिसमें उन्होनें चकबन्दी की कार्यवाही के दौरान भूमि वर्गीकरण व वितरण की कार्यवाही को सही माना, सही मान स्वयं के अंगुष्ठ निशान किये। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि में से सेटलमेन्ट विभाग ने 4.375 बीघा अर्थात लगभग 4.50 बीघा भूमि कम दर्ज नहीं की। इस प्रकार उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2

आया राजस्व रेकर्ड अनुसार वाद पत्र के पद सं. दो में वर्णित अनुसार भूमि में सेटलमेन्ट विभाग ने वादीगण की भूमि से 4.50 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड में जोड दी है ?

.....वादीगण

उक्त तनकी को भी सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, उभयपक्षीय प्रस्तुत शहादत व जिरह तथा उभयपक्षीय अभिभाषकगण की बहस उपरान्त इस तनकी पर हमारी विवेचना व परीक्षण इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण के पिता श्री जवानसिंह के पास एक ही खसरा नं. 183 रकबा 37 बीघा 19 बिस्वा था, जिसकों भूमि वर्गीकरण के समय आना वेल्युएशन के आधार पर चौकोर बनाकर 30 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज

.....लगातार पेज 5

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

की गयी। रास्ते हेतु भूमि वादी एवं प्रतिवादी दोनों खसरे से ली गयी थी। प्रतिवादीगण के खसरा सं. 183 से खसरा सं. 131/1 व 131/2 बने। जिसके सेटलमेन्ट सर्वे में नये खसरा नं. 249 रकबा 0.83 हैक्टेयर व खसरा नं. 248 रकबा 6.10 हैक्टेयर कुल रकबा 6.93 हैक्टेयर दर्ज हुए। 1974 के सेटलमेन्ट सर्वे के दौरान खिवान्दी गांव के उत्तरी सरहद पर स्थित नेखम व उससे पूर्व की तरफ के ऑफसेट के बीच में पैमाईश के वक्त एक जरीब की कमी रिकॉर्ड में दर्ज होने से उस सीध के समस्त खातेदारों के हिस्से में रिकॉर्ड व मौके की स्थिति से भिन्न रकबा दर्ज हुआ अर्थात मौके पर रकबा तो पूरा था परन्तु एक जरीब की कमी से रिकॉर्ड में रकबा कम दर्ज हुआ। प्रथम सेटलमेन्ट में पूरे गांव का कुल रकबा 17221 बीघा 15 बिस्वा था। द्वितीय सेटलमेन्ट में मौके की स्थिति के आधार पर वक्त पैमाईश एक जरीब की पुनः बढोतरी दर्ज हुई, जिससे पूर्व की पैमाईश की दुरस्ती होने से पूरे गांव का 201 बीघा 11 बिस्वा रकबा बढकर वर्तमान में 17423 बीघा 5 बिस्वा दर्ज है। चूंकि यह बढोतरी सर्वे पैमाईश के वक्त मौके की स्थिति के आधार पर पूरे गांव का रकबा बढ़ने व प्रतिवादी के सीध मे अवस्थित समस्त खातेदारों के हिस्से में इसी तरह से रकबे में बढोतरी दर्ज होने से वास्तविक रकबा दर्ज हुआ है। प्रतिवादी का खेत लम्बवत होने से एक जरीब की दुरस्ती होने से कुल 14 बीघा रकबा बढा। इसी तरह मिसलबन्दी की लाईन में अवस्थित अन्य काश्तकारों के भी तद्नुरूप मौके अनुसार रकबे में बढोतरी दर्ज हुई। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी के खाते में दर्ज भूमि उसके हिस्से अनुरूप वास्तविक रकबा है। वादी के हिस्से की भूमि प्रतिवादी के खाते में दर्ज किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। इस प्रकार उक्त तनकी को वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 3

आया वादीगण का कब्जा काश्त पुराने रेकर्ड व नक्शें अनुसार बदस्तुर है? – वादीगण

उक्त तनकी को भी सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, उभयपक्षीय प्रस्तुत शहादत व जिरह तथा उभयपक्षीय अभिभाषकगण की बहस उपरान्त इस तनकी पर हमारी विवेचना व परीक्षण इस प्रकार है कि वादीगण का वर्तमान रेकर्ड अनुसार खसरा नं. 261 रकबा 3.66 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार उक्त तनकी को वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 4

आया वादीगण व प्रतिवादीगण के भूमि के मध्य रास्ता है रास्ते पर प्रतिवादीगण ने कब्जा करके रास्ते की भूमि को अपनी भूमि में मिला दिया है ? .....– वादीगण

उक्त तनकी को भी सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, उभयपक्षीय प्रस्तुत शहादत व जिरह तथा उभयपक्षीय अभिभाषकगण की बहस उपरान्त इस तनकी पर हमारी विवेचना व परीक्षण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण की जमीन के मध्य खसरा सं. 253 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। उक्त रास्ते पर वादीगण द्वारा अतिक्रमण की शिकायत पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 12.04.1999 को वादीगण को खसरा सं. 253 गै.मु. रास्ता की 0.06 हैक्टेयर पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखल किया गया व जुर्माना आरोपित किया गया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त गैर मुमकिन रास्ते पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है अपितु वादीगण द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसको बेदखल किया गया है। इस प्रकार उक्त तनकी को वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 5

आया वादीगण को 27 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण कोई दखलन्दाजी ना करने हेतु निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?.....– वादीगण

उक्त तनकी को भी सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, उभयपक्षीय प्रस्तुत शहादत व जिरह तथा उभयपक्षीय अभिभाषकगण की बहस उपरान्त इस तनकी पर हमारी विवेचना व परीक्षण इस प्रकार है कि तनकी सं. 1 की विवेचना व परीक्षण अनुसार यह स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी भूमि में से सेटलमेन्ट विभाग ने 4.375 बीघा अर्थात लगभग 4.50 बीघा भूमि कम दर्ज नहीं की। अतः वादीगण उक्त अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इस प्रकार उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

.....लगातार पेज 6

Scanned by CamScanner

तनकी सं. 6

आया प्रतिवादीगण द्वारा पेश जवाब दावा सत्यापित नहीं होने से कानूनन रेकर्ड पर नहीं लिया जा सकता ? .....– वादीगण

उक्त तनकी को भी सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, उभयपक्षीय प्रस्तुत शहादत व जिरह तथा उभयपक्षीय अभिभाषकगण की बहस उपरान्त इस तनकी पर हमारी विवेचना व परीक्षण इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 16.01.2003 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये, तत्पश्चात आंशिक जवाब दावा दिनांक 29.09.2003 को पेश कर जिला कार्यालय से प्राप्त अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये। तत्पश्चात् दिनांक 30.10.2010 को रास्ते भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये। उक्त जवाब दावा व अन्य दस्तावेज वकील प्रतिवादी द्वारा वक्त शहादत, जिरह व उभयपक्षीय बहस में प्रदर्श के रूप में पत्रावली पर रिकॉर्ड पर मानते हुए तस्दीक किये गये है अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 7

आया वादीगण का वाद म्याद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है ?.....– प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण के अनुसार सेटलमेन्ट 1974 में हुआ जिसे 28 वर्ष हो चुके है, और अब इस तरह का वाद पेश किया है जो विचारणीय है। जबकि सेटलमेन्ट विभाग में ही उजरदारी हो सकती थी। सेटलमेन्ट का समय 1974 से 1985 तक रहा है, जो काफी लम्बे समय तक रहा है, इसके अलावा सन् 1999 में भी वादीगण ने रास्ते पर अतिक्रमण किया, जिसे तहसील ने बेदखल कर कब्जा हटवाया, जिसके फैसले की फोटो प्रति संलग्न है। उस वक्त उजरदारी नहीं की गयी, और उसके तीन साल बाद यह वाद पेश किया, जो म्याद बाहर है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, उभयपक्षीय प्रस्तुत शहादत व जिरह तथा उभयपक्षीय अभिभाषकगण की बहस उपरान्त इस तनकी पर हमारी विवेचना व परीक्षण इस प्रकार है कि वादीगण का कथित वाद भूमि वर्गीकरण कार्यवाही व सेटलमेन्ट के समय वादीगण की खातेदारी भूमि में से कम की जाकर प्रतिवादी के खाते में जोड़ने के संबंध में होकर सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष अनुतोष चाहने बाबत प्रस्तुत किया है, अतः उक्त वाद को वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्पूर्ण दस्तावेजों के ध्यानपूर्वक विधि संगत परीक्षण हेतु उक्त Delay को Condone किया जाकर गुणावगुण के आधार पर फैसल किये जाने हेतु पत्रावली को स्वीकार किया जाता है। उक्त तनकी वादीगण के पक्ष व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 8

आया प्रतिवादीगण की खातेदारी की कृषि कुल रकबा 43 बीघा 3/25 बिस्वा पर कब्जा व काश्त जोधपुर रियासत के समय से चला आ रहा है। व किसी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है ? .....प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, उभयपक्षीय प्रस्तुत शहादत व जिरह तथा उभयपक्षीय अभिभाषकगण की बहस उपरान्त इस तनकी पर हमारी विवेचना व परीक्षण इस प्रकार है कि प्रतिवादी के खाते में दर्ज भूमि भूमि वर्गीकरण व सेटलमेन्ट के समय मौके की स्थिति अनुरूप पैमाईश से अंकित हिस्से अनुरूप वास्तविक रकबा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा व काश्त जोधपुर रियासत के समय से चला आ रहा है व इनके द्वारा किसी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। इस प्रकार उक्त तनकी को वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 9

आया वादीगण की कृषि भूमि में कमी भूमि वर्गीकरण के आधार पर दर्ज हुई है ? जिसका उजर व एतराज वादीगणों को करने का कानूनी अधिकार नहीं है?.....–प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, उभयपक्षीय प्रस्तुत शहादत व जिरह तथा उभयपक्षीय अभिभाषकगण की बहस उपरान्त इस तनकी पर हमारी विवेचना व परीक्षण इस प्रकार है कि नियमानुसार भूमि वर्गीकरण की कार्यवाही" के दौरान रकबे में हुई घटत बढत की दुरस्ती हेतु राजस्व न्यायालय में उजर एतराज पेश नहीं किया जा सकता। साथ ही वादीगण के पिता श्री पोमसिंह ने दिनांक 20.08.75 को सेटलमेन्ट अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर राजस्थान भू राजस्व नियम 21 के तहत एक नोटिस सहित पर्चा (प्रदर्श–A7) प्रमाणांकन हेतु दिया गया था जिसकी अनुपालना में

.....लगातार पेज 7

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

उस नोटिस व पर्चा का जबाव दिया जिसमें उन्होनें चकबन्दी की कार्यवाही के दौरान भूमि वर्गीकरण व वितरण की कार्यवाही को सही माना, सही मान स्वयं के अंगुष्ठ निशान किये। इस प्रकार उक्त तनकी को वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 10

आया प्रतिवादीगण ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा नं. 253 के रास्ते में अतिक्रमण किया है ?.....प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, उभयपक्षीय प्रस्तुत शहादत व जिरह तथा उभयपक्षीय अभिभाषकगण की बहस उपरान्त इस तनकी पर हमारी विवेचना व परीक्षण इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण के खसरा नं. 248 से 252 व वादीगण के खसरा नं. 261 के मध्य खसरा नं. 253 गै.मु. रास्ता दर्ज है। प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है। परन्तु वादीगण द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 12.04.1999 को वादीगण को खसरा सं. 253 गै.मु. रास्ता की 0.06 हैक्टेयर पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखल किया गया व जुर्माना आरोपित किया गया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त गैर मुमकिन रास्ते पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है अपितु वादीगण द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिसको बेदखल किया गया है। इस प्रकार उक्त तनकी को वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 11

आया वादीगणों द्वारा पेश वाद पत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कारण पैदा नहीं होता है, जिससे वाद काबिल खारिज है? .....प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, उभयपक्षीय प्रस्तुत शहादत व जिरह तथा उभयपक्षीय अभिभाषकगण की बहस उपरान्त इस तनकी पर हमारी विवेचना व परीक्षण इस प्रकार है कि उपर वर्णित तनकियात बिन्दु सं. 1 से 10 तक के विश्लेषण, विवेचनाओं, परीक्षण एवं उन पर लिये गये निष्कर्ष के आधार पर वादीगणों द्वारा पेश वाद पत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कारण पैदा नहीं होता है, जिससे वाद काबिल खारिज है। इस प्रकार उक्त तनकी को वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 12

अनुतोष.....

चूंकि तनकी सं. 01, 02, 03, 04, 05, व 06 के निर्णयानुसार उक्त तनकियात वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गयी है, अतः वादीगण कथित वाद के जरिए चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के हकदार प्रतीत नहीं होते है।

इस प्रकार उपरोक्त उल्लेखित विश्लेषण, विवेचनाओं, परीक्षण एवं उन पर लिए गये निष्कर्ष के आधार पर वादी का कथित वाद विरूद्ध प्रतिवादी के काबिल खारिज योग्य एवं कथित वाद के जरिए चाहा गया अनुतोष पाने का वादीगण हकदार प्रतीत नहीं होते है।

फैसला आज दिनांक 07.10.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

07.10.19

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला-पाली

Scanned by CamScanner